9.5.22 वकील वादी उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 की ओर से श्री जगदीश प्रसाद राजपूत ने वकालतनामा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थना पत्र O23 R1 CPC पर वकील वादी को सुना गया। वादी वकील का कथन है कि पक्षकारों के मध्य राजीनामा हो गया है। वादीगण दावा नहीं चलाना चाहते है इसलिए प्रार्थना पत्र O23 R1 CPC द्वारा दावा विड्रो करना चाहते है। वकील प्रतिवादी ने कोई आपत्ति नहीं की।

पत्रावली का अवलोकन किया, वकील वादी की बहस का मनन किया गया। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 23 नियम 1 के द्वारा वादी अपना दावा किसी भी स्तर पर विड्रो कर सकता है। अतः वादीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर दावा विड्रो की अनुमति दी जाती है। विड्रो के आधार पर दावा वादीगण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुदा होकर शामिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर (राज.)